फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

पार्थी : श्री कैलाशचन्द्र

विपक्षी : श्री रमेशचन्द्र

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 50/23

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 13.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1, 2 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रकरण में प्रथम दृष्टया हमने पाया की प्रार्थी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अधि. के तहत प्रस्तुत किया गया हैं उसी के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. प्रस्तुत कर विपक्षी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में हस्तक्षेप करने एवं प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर उतारू होने से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात सामलाती भूमि होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज हैं भूमि सामलाती होने से हर एक इंच पर हर एक खातेदार का अधिकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में कानूनी रूप से विभाजन नहीं होने से प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू हैं जिससे विपक्षी को पावन्द किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणनीय क्षति के विन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं। उपरोक्त विन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा वरणी पटवार हल्का वरणी तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की जमावंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 240 की आराजी 1295, 1298 व 1299 किता 3 रकबा 2.1600 है. भूमि में विपक्षीगण मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.02.23 17:00:07 IST
Reason: SelfAttested

(पर्वतसिंह चुण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर
भीण्डर